संख्या-459/2026/I/1397387/2026/001-CN-2025413-6-7099-89-2026

प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2026

विषय:- मा0 राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के आवास/कार्यालय की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु 02 अदद Hand Held Back Scatter X-Ray Imaging System (HHBS) का क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- उप0प्रको0-490/2026(सुरक्षा) दिनांक 18.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के आवास/कार्यालय की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था हेतु 02 अदद Hand Held Back Scatter X-Ray Imaging System (HHBS) के क्रयार्थ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार रू 83,20,830/- की दर से कुल धनराशि रू 1,66,41,660/- (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख इकतालीस हजार छ: सौ साठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू में)

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति उपकरण अनुमानित दर कर सहित (रू में)	कुल धनराशि कर सहित (रू में)
1	Hand Held Back Scatter X-Ray Imaging System (HHBS)	02	83,20,830/-	1,66,41,660/-
	कुल योग	रू 1,66,41,660/- (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख इकतालीस हजार छ: सौ साठ मात्र)		

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0दि0 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों/ संसाधनों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों/ संसाधनों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों/ संसाधनों के मेक/ मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे ।

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ क्रय किये जाने वाले उपकरणों/ संसाधनों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें ।

(5) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों/ संसाधनों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा ।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रायोजन हेतु गत् वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत धनराशि के अनाहरण के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेगें।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रश्नगत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे ।

(9) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय ।

(10) यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरण/सेवाएं क्रय न किया जाये, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(11) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/आडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,66,41,660 (रूपये एक करोड़ छियासठ लाख इकतालीस हजार छः सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा शीर्षक 4070008001600 सुरक्षा शाखा मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-114-X-2026-27-दिनांक: 14-07-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव ।

संख्या-459/2026/I/1397387/2026/001-CN-2025413-6-7099-89-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।

4-अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय एवं साख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।

6-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।

7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।

8- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

दीपक पटेल

अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।